रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2017/अग्रहायण 29, 1939
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2017/AGRAHAYANA 29, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2017

फा. सं. एवी-24011/8/2017-भा.वि.प्रा.-ना.वि.मं.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वायुयान नियम, 1937 के नियम 92 के अनुसरण में तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंध, भूमि संचलन सेवाओं के लिए प्रवेश) विनियम, 2007 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व कि गई हैं या किए जाने से छोड़ दी गई हैं, भारतीय हवाइअड्डों पर भूमि संचलन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं लागू होना: (1) इन विनियमों को नागर विमानन मंत्रालय (भू संचलन सेवाएं) विनियम**, 2017** कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये देश के सभी सिविल हवाईअड्डों तथा सिविल एंक्लेवों के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ– इन विनियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित हो:-

(क) "एप्रन" से हवाइअड्डों एंक्लेव का वह परिभाषित क्षेत्र अभिप्रेत होगा जहां यात्रियों अथवा कार्गो के चढ़ने तथा उतरने, पुन: संभरण, पार्किंग अथवा अनुरक्षण के लिए विमान की व्यवस्था की जाती है;

(ख) "सिविल एंक्लेव" से वह क्षेत्र, यदि कोई हो, अभिप्रेत है जो संघ की किसी सशस्त्र सेना से संबंधित हवाईअड्डे पर आबंटित, जो ऐसे हवाईअड्डे से वायु परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए अथवा ऐसी सेवाओं से सामान अथवा कार्गो संचलन के लिए है तथा जिसमें ऐसे क्षेत्र का कोई भवन तथा संरचना की भूमि भी शामिल होगी;

(ग) "भू संचलन" से हवाई यातायात नियंत्रण से अन्य किसी हवाईअड्डे पर किसी विमान के आगमन, और प्रस्थान के लिए आवश्यक सेवाएँ अभिप्रेत है और जिनमें शामिल हैं:

i. अनुसूची-I में विर्निदिष्ट क्रियाकलापों सहित रैम्प संचलन;

ii. अनुसूची-II में विर्निदिष्ट क्रियाकलापों सहित यातायात संचलन; तथा

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य क्रियाकलाप।

(घ) "भूमि संचलन अभिकरण " से किसी हवाईअड्डे पर भूमि संचलन सेवा के उद्देश्य से सृथापित की गई किसी कम्पनी अथवा संयुक्त उद्यम अथवा उसकी सहायक कम्पनी अभिप्रेत है;

(ङ) "कौशल क्षेत्र" से किसी हवाईअड्डे अथवा किसी एयरोड्रॉम अथवा सिविल एंकुलेव पर स्थित वह भाग अभिप्रेत है जिसका उपयोग विमान के उड़ान भरने अथवा अवतरण अथवा टैक्सींग के लिए किया जाता है परन्तु इसमें एप्रन शामिल नहीं है;

(च) "संचलन क्षेत्र" से किसी हवाईअड्डे अथवा किसी एयरोड्रॉम अथवा सिविल एंकुलेव पर स्थित वह सृथान अभिप्रेत है जो कौशल क्षेत्र एवं एप्रन सहित विमान के सृथल संचलन के लिए उपयोग में लाया जाता है;

(छ) "नियमित कर्मचारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी ठेकेदार की मध्यसृथता के बिना सीधे नियोकृता द्वारा नियमित कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो तथा भुगतान किया जाता हो; तथा इसमें ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) में यथा परिभाषित ठेका श्रमिक शामिल नहीं है;

(ज) "स्वामिस्व" से हवाईअड्डे पर भूमि संचलन अभिकरण द्वारा किए जाने वाले भूमि/सृथल संचलन क्रियाकलापों से प्राप्त राजसृव के उस अंशभाग अभिप्रेत है जो हवाईअड्डा प्रचालक को देय है;

(झ) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "सृवयं-संचलन" से किसी एयरलाइन/हैलीकॉप्टर प्रचालक अथवा इसके पूर्ण सृवामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा अपने सृवयं के नियमित कर्मचारियों के माध्यम से अपने सृवामित्व वाले अथवा पट्टे पर प्राप्त किए गए उपकरणों का प्रयोग करते हुए अपने सृवयं के विमान/हैलीकॉप्टर से संबंधित सृथल संचलन सेवाएं सृवयं करना अभिप्रेत है;

(ट) "टर्मिनल भवन" से हवाईअड्डे अथवा सिविल एंकुलेव का वह भवन अथवा क्षेत्र अभिप्रेत है जो यात्रियों के उतरने अथवा चढ़ने अथवा यात्रा संबंधी प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाया जाता है;

3. हवाईअड्डों पर भूमि संचलन सेवाएं–

(क) सभी घरेलू अनुसूचित एयरलाइन प्रचालक और अनुसूचित हैलीकॉप्टर प्रचालक सिविल एंकुलेवों सहित सभी हवाईअड्डों पर सृवयं-संचलन करने के लिए सृवतंत्र होंगे।

(ख) कोई विदेशी एयरलाइन सिविल एंकुलेवों/संयुक्त प्रयोकृता रक्षा एयरफील्डों को छोड़कर सभी हवाईअड्डों पर, प्री सिकृयोरिटी होल्ड एरिया पर यात्री चेक-इन के लिए प्रतिबंधित हवाईअड्डा टर्मिनलों पर एवीएसईसी आदेश 03/2009 [अनुलग्नक I] के पैरा 1 में सूचीबद्ध सुरक्षा कार्यो को छोड़कर यात्री और बैगेज संचलन गतिविधियों के संबंध में सृवयं-संचलन कर सकती है।

(ग) सिविल एंकुलेवों/संयुक्त प्रयोकृता रक्षा एयरफीलुडों को छोड़कर कार्गो टर्मिनलों पर, सभी कार्गो हवाईअड्डे एवीएसईसी आदेश 03/2009 [अनुलग्नक I] के पैरा 1 में सूचीबद्ध सुरक्षा कार्यो को छोड़कर सृवयं-संचलन कर सकते हैं।

(घ) ऐसे सभी हवाईअड्डों, जिनकी वार्षिक यात्री प्रवाह क्षमता 10 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष अथवा अधिक है, के हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां तीन भूमि संचलन अभिकरण जिसमें हवाईअड्डा प्रचालक अथवा उसके संयुक्त उद्यम या इसके 100% स्वामित्व वाली समनुंषगी, एअर इंडिया का संयुक्त उद्यम/समनुंषगी तथा हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त कोई अन्य भूमि संचलन सेवा प्रदातृता कार्यरत होगी ।

(ङ) ऐसे सभी हवाईअड्डों, जिनका वार्षिक यात्री प्रवाह क्षमता यातायात आउटपुट एवं एयरसाइड एवं टर्मिनल भवन क्षमता के आधार पर 10 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष से कम है, के हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा भूमि संचलन अभिकरण की संख्या का निर्धारण किया जाएगा जो तीन से अधिक नहीं होंगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे।

(i) हवाई अड्डा प्रचालक अथवा उसका संयुक्त उद्यम अथवा उसकी 100% स्वामित्व वाली समनुंषगी कंपनी;

(ii) संयुक्त उद्यम अथवा एअर इंडिया की समनुंषगी कंपनी

(iii) पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा नियुक्त कोई अन्य भूमि संचलन अभिकरण ।

(च) किसी भूमि संचलन अभिकरण, जिसमें विदेशी सुवामित्व इसकी प्रदत्त पूंजी से 50% या इससे अधिक हो, को सिविल एंक्लेवों/संयुक्त प्रयोक्ता रक्षा एयरफील्डों पर भूमि संचलन गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(छ) सभी हवाईअड्डों पर एअर इंडिया की समनुंषगी कम्पनी/संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा अन्य भूमि संचलन अभिकरण द्वारा देय न्यूनतम स्वामिस्व से अनुकूलन किया जाएगा।

(ज) एअर इंडिया से संबंधित इस विनियम के खंड (घ), (ङ) और (छ) के उपबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक एअर इंडिया एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) बनी रहेगी और इसके विनिवेश की स्थिति में, उपरोक्त खंड एअर इंडिया के संबंध में उन ऐसे सभी हवाईअड्डों पर, जहां इसके कृत्य भूमि संचलन अभिकरण के रूप में उस समय तक, जब तक उस हवाईअड्डे के लिए अगली बोली लगाई जाती है, जारी रहेंगे ।

(झ) सुवयं-संचलन की स्थिति में कोई स्वामिस्व देय नहीं होगा।

(ञ) सभी एयरलाइनें/संयुकत उद्यम/समनुंषगी भूमि संचलन अभिकरण पारस्परिक रूप से सुवीकार्य निष्पादन मापदंडों के संतोषजनक अवलोकन के लिए हवाईअड्डा प्रचालक के साथ एक करार करेंगे।

4. टर्मिनल भवन/संचलन क्षेत्र में प्रवेश

वायुयान नियम, 1937 के नियम 90 में किए गए उपबंध के सिवाय, हवाईअड्डों पर भूमि संचलन सेवाओं के लिए अनुमति प्राप्त निकायों को भी टर्मिनल भवन अथवा संचलन क्षेत्र में प्रवेश करने तथा वहां रूकने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

5. सुरक्षा नवाचार

1. (क) सभी भूमि संचलन सेवाएं विनियम 3 में अनुसरण में व्यष्टि के केवल नियमित कर्मचारियों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

(ख) ठेकेदार/जनशक्ति आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कर्मचारियों की ठेके पर प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. एयरलाइनों तथा अभिकरण को हवाईअड्डों पर भूमि संचलन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है तथा उन्हें विधि के अधीन यथा अपेक्षित सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चत करना होगा।

3. जब तक भूमि संचलन अभिकरण विनियमित अभिकर्ता का दर्जा अर्जित न कर लें या ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी द्वारा इन्हें ऐसा करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत न किया जाए, तब तक ये समय-समय पर यथा संशोधित एवीएसईसी आदेश 03/2009 [संलग्नक I] के पैरा 1 में सूचीबद्ध सुरक्षा कृत्यों को हाथ में नहीं लेंगे।

6. उपकरण:-

(क) सभी हवाईअड्डों पर, स्थान और समय की बाध्यताओं से निजात पाने के क्रम में, हवाईअड्डा प्रचालक केवल पर्याप्त संख्या में सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपकरण (सीयूटीई) और सामान्य प्रयोक्ता स्वयं सेवा (सीयूएसएस) उपलब्ध करवाएगा।

(ख) 1.5 एमपीपीए या इससे अधिक यात्री थ्रूपुट वाले सभी हवाईअड्डों पर, हवाईअड्डा प्रचालक पर्याप्त संख्या में बैगेज समाशोधन प्रणाली (बीआरएस) मुहैया कराएगा:

परन्तु यह कि बशर्ते कि जहां वार्षिक यात्री क्षमता प्रति वर्ष 1.5 मिलियन यात्रियों से कम है, हवाई अड्डा प्रचालक बैगेज मिलान प्रणाली से संबंधित उपबंधो का निर्णय ले सकता है।

(ग) सभी संबंधित अभिकरण अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग और सर्वोत्तम परिपाटियों का अनुसरण किया जाना, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आयटा) के हवाईअड्डा संचलन मेनुअल (एएचएम) के अनुरूप होंगे, सुनिश्चित करेंगी ।

(घ) जहां तक व्यवहार्य हो, हवाईअड्डा प्रचालक, पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर हवाईअड्डा परिसरों के भीतर, भूमि संचलन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उपकरणों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल मुहैया कराएगा।

7. (क) ऐसे व्यष्टिकों जिन्हें इन विनियमों में अनुमति नहीं दी गई हैं और वर्तमान में किसी हवाईअड्डे/सिविल एंक्लवों पर भूमि संचलन क्रियाकलापों को संचालित कर रही है, उन्हें इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 240 दिनों की अवधि तक बाहर जाने की अनुमति होगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट उपरोक्त व्यष्टियों के संबंध में हवाईअड्डा प्रवेश परमिट इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से 240 दिनों तक जारी किए जाते रहेंगे।

(ग) सभी हवाईअड्डा प्रचालक भूमि संचलन विनियम 2017 के प्रकाशन की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर अपेक्षित संख्या में भूमि संचलन अभिकरणों की नियुक्ति करेंगे।

अनुसूची-1

(विनियम 2 (ग)(i) देखें)

रैंप संचलन

1. वायुयान संचलन:

1.1 उपस्थिति

1.2 क्रम बंधन

1.3 ठहराना

1.4 आरंभ होना

1.5 सुरक्षा उपाय

1.6 विमान की मूरिंग

1.7 उड़ान डेक संचार के लिए रैंप

2. विमान की सर्विसिंग:

2.1 ईंधन भरने और ईंधन निकालने के लिए संपर्क

2.2 तेल और अन्य तरल पदार्थ पुनः भरने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क

2.3 केबिन उपकरण

2.4 मार्ग निर्धारण और गैर-मार्ग निर्धारण सेवाएं

2.5 शीतलक और तापन

2.6 केबिन सामग्री का भंडारण

3. वायुयान की सफाई:

3.1 बाहरी सफाई

3.2 आंतरिक सफाई

3.3 शौचालय सेवा

3.4 जल सेवा

4. चढ़ाई अथवा उतराई:

4.1 यात्री सामान की चढ़ाई और उतराई

4.2 यात्री सामान की ढुलाई

4.3 चढ़ाई/उतराई उपकरण का प्रचालन

4.4 यात्री सीढ़ियों/पुलों को लगाना और हटाना

4.5 यात्रियों को विमान में चढ़ाना/उतारना

4.6 सामानों का ब्रेक/मेकअप

4.7 यात्रियों/चालक दल को बस में लाना ले जाना

4.8 भारी मात्रा में चढ़ाई/उतराई

4.9 केटरिंग रैंप संचलन

4.10 भार नियंत्रण

4.11 संचार

4.12 उड़ान प्रचालन

4.13 कर्मी दल प्रशासन

5. कार्गो हैंडलिंग सेवाएं:

5.1 वायुयान पर/से कार्गो की भराई, उतराई, निर्यात, आयात और यानांतरण।

5.2 डाक संचलन सेवाएं

5.3 कार्गो के संचालन के लिए अनिवार्य उपकरणों का प्रचालन/उपबंध/व्यवस्था करना

5.4 कार्गो की ढुलाई

5.5 कार्गो का पैलेटाइजेशन/कंटेनराइजेशन

5.6 कार्गो कंटेनर/यूनिट लोड डिवाइस का ब्रेक अप/मेक अप

5.7 बल्क चढ़ाई या उतराई

5.8 कार्गो और डाक संचलन

5.9 सीमा शुल्क नियंत्रण

5.10 प्रलेखन संचलन

5.11 शारीरिक संचलन निर्गामी/अंतर्गामी

5.12 स्थानांतरण/पारगमन कार्गो

5.13 डाकघर संबंधी डाक

6. सहायक सेवाएं:

6.1 आवास

6.2 ऑटोमेशन/कंप्यूटर सिस्टम

6.3 यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) नियंत्रण

6.4 ईंधन फार्म (डिपो)

6.5 रैंप ईंधन भराई/रिक्तिकरण प्रचालन

6.6 भूतल परिवहन

6.7 कैटरिंग सेवाएं - संपर्क और प्रशासन

7. वायुयान अनुरक्षण:

7.1 नियमित सेवाएं

7.2 तेल और ईंधन के पुन: प्रवर्धन

7.3 गैर-रूटीन सेवाएं

7.4 मटीरियल हैंडलिंग

7.5 पार्किंग और हैंगर स्थान

अनुसूची-II

(विनियम 2 (ग)(ii) देखें)

<u>यातायात संचलन</u>

1. टर्मिनल सेवाएं:

1.1 दस्तावेज़ों का रखरखाव और भार नियंत्रण

1.2 हवाई अड्डे के टर्मिनलों में यात्रियों और सामानों का संचलन

1.3 हवाई अड्डा टर्मिनलों पर कार्गो संचलन सेवाएं

1.4 हवाई अड्डा टर्मिनल पर डाक संचलन सेवाएं

1.5 हवाई अड्डे के टर्मिनलों पर यात्री चेक-इन सहित यातायात सेवाएं

2. उड़ान प्रचालन:

2.1 जिम्मेदारी के क्षेत्रों में उनके विमान के लिए उपलब्ध परिचालन सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावित करने वाले किसी ज्ञात प्रोजेक्ट के संबंध में वाहक को सूचित करना

2.2 प्रस्थान के लिए हवाई अड्डे पर उड़ान तैयारी

2.3 प्रस्थान के हवाई अड्डे के अलग रूप में एक बिंदु पर उड़ान तैयारी

2.4 उड़ान के दौरान सहायता

2.5 उड़ान पश्चात् क्रियाकलाप

2.6 इन-फ़्लाइट पुनः प्रेषण

2.7 भूमि संचलन से जुडी संचार प्रणाली

2.8 सामग्री संचलन

3. भूतल परिवहन:

3.1 एक ही हवाई अड्डे पर अलग-अलग टर्मिनलों के बीच यात्रियों/बैगेज और कार्गो के पारवहन के लिए व्यवस्था।

3.2 यात्रियों या चालक दल के परिवहन के लिए हवाई अड्डे और शहर या अन्य सहमति के बीच अपने सामान के साथ परिवहन के लिए व्यवस्थाएं।

4. प्रतिनिधि सेवाएँ:

4.1 स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संपर्क

4.2 इच्छुक व्यक्तियों के लिए जानकारी, वाहक विमानों की आवाजाही

4.3 सभी हवाई अड्डों पर वाहकों की ओर से भुगतान का संवितरण

4.4 पर्यवेक्षण और प्रशासन सेवाएं

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III /4/असाधारण/350/17]

संलग्नक ।

<u>प्रतिबंधित</u>

सं. सीएएस-6(1)/2008/डिवी.1(सेक्शन फंक्शन)

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

(नागर विमानन मंत्रालय)

भारत सरकार

'ए' विंग (प्रथम-द्वितीय तल), जनपथ भवन,

जनपथ, नई दिल्ली

दिनांक 21/08/2009

<u>एवीएसईसी आदेश सं. 03/2009</u>

विषय : **<u>विमान प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा कार्य</u>**

डीजीसीए परिपत्र सं. 9/1/2002-आईआर, दिनांक 28.09.2007 के साथ पठित नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना सं. 1797, दिनांक 03 जुलाई, 1997; और भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना सं. एएआई/लीगल/जीएचआरईजी//2007, दिनांक 18.10.2007 द्वारा जारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रवेश) अधिनियम, 2007 के विनियमन 6 और 7 के द्वारा उन्हें वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 5 क द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए, सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), विमान संचालनों की संरक्षा को सुरक्षित रखने के प्रयोजन के लिए, निदेश देते हैं कि **विमान संचालनों से संबंधित** निम्नलिखित क्रियाकलापों को विमान प्रचालकों के विमानन सुरक्षा कार्यों के रूप में माना जाएगा :

I. विमान पर पहुंच नियंत्रण;

II. बम आशंका के साथ-साथ सामान्य स्थिति के दौरान विमान सुरक्षा तलाशी/ सुरक्षा जांच;

III. पंजीकृत/साथ न ले जाए जाने वाले सामान, कार्गो, मेल और कंपनी स्टोर आदि की स्क्रीनिंग;

IV. चेक-इन-काउंटरों तक स्वीकार किए जाने तक स्क्रीन किए गए सामान की निगरानी;

V. जांच किए गए सामान का उस स्थान, जहां वह विमान प्रचालक के कब्जे में लिया गया है, से विमान में चढ़ाई होने तक सुरक्षा नियंत्रण;

VI. यात्रियों के सामान का मिलान/पहचान;

VII. सुरक्षा बैगेज टैग, बोर्डिंग कार्ड और उड़ान दस्तावेज;

VIII. गलत ढंग से रखे गए/साथ न ले जाए गए/ट्रांजिट/ट्रांसफर बैगेज की सुरक्षा;

IX. विमान की सीढ़ी के स्थान पर दूसरे दर्जे की जांच;

X. प्री-सेटिंग स्टेज से विमान में चढ़ाई होने तक केटरिंग सामान की जांच;

XI. एक्सप्रेस कार्गो, कूरियर थैलों, कार्गो, कंपनी स्टोर, पार्सलों, डाक थैलों का सुरक्षा नियंत्रण तथा सिटी साइड से विमान तक उनका मार्गरक्षण;

XII. प्राप्ति, कैरिज और सुरक्षा से हटाई गई मदों की पुन:प्राप्ति;

XIII. आयुक्त द्वारा समय समय पर अधिसूचित कोई अन्य सुरक्षा कार्य।

2. इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान अधिभारित सुरक्षा परिदृश्य के अंतर्गत एवीएसईसी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त गतिविधियां हवाईअड्डों पर ग्राउंड पर की जाती हैं, इन एवीएसईसी कार्यों को अन्य ग्राउंड हैंडलिंग क्रियाकलापों के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता है, तथा किसी विमान प्रचालक / हवाईअड्डा प्रचालक को इन एवीएसईसी कार्यों को किसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी द्वारा करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. उपर्युक्त वर्णित सुरक्षा कार्यसंबंधित एयरलाइन के सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए जाएंगे जिनके पास अपनी ड्यूटी करने के लिए अपेक्षित सक्षमता है तथा वे संबंधित विमान प्रचालक के अनुमोदित सुरक्षा कार्यक्रम तथा भारत के राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित हैं।

4. विदेशी एयरलाइनें प्रत्येक मामले में बीसीएएस से केवल विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उस हवाईअड्डे से अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन करने वाले भारतीय विमान प्रचालकों के साथ करार कर सकती हैं।

5. नागर विमानन मंत्रालय (भारत सरकार) के पत्र सं. एवी-24013/004/2007-एएआई, दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार, भारत में हवाईअड्डों से किसी विमान प्रचालक द्वारा ढोए जाने वाले हाथ वाले बैगेज संबंधित हवाईअड्डा प्रचालक अथवा एनएसीआईएल अथवा हवाईअड्डो पर उनके संयुक्त उद्यम वाली इन-लाइन बैगेज निरीक्षण प्रणाली के प्रशिक्षित तथा बीसीएएस प्रमाणित स्क्रीनरों द्वारा ले जाए जाएंगे।

6. कार्गो कन्साइनमेंट की स्क्रीनिंग तथा सुरक्षा नियंत्रण भी बीसीएएस द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार बीसीएएसद्वारा अनुमोदित विनियमित एजेंटों के बीसीएएस प्रमाणित तथा प्रशिक्षित स्क्रीनरों द्वारा की जाएगी।

7. सुरक्षा संबंधी सभी कार्यों की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइनों की होगी। इस कार्य के लिए, प्रत्येक हवाईअड्डे पर संबंधित एयरलाइनों द्वारा, जहां से वे प्रचालन करती हैं, एक सुरक्षा समन्वयक नामित किया जाएगा।

8. ये आदेश उपर्युक्त विषय पर जारी सभी दिशानिर्देशों (बीसीएएस परिपत्र सं. 4/2007 को छोड़ कर) का अधिक्रमण करते हैं तथा तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 11 ए के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह सुरक्षा आयुक्त (सीए) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Sd/-

(एम. मालवीय)

आई.पी.एस.

अपर सुरक्षा आयुक्त (सीए)

वितरण : संलग्न सूची अनुसार

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, 15th December, 2017

F. No. AV-24011/8/2017-AAI-MOCA.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994) and in pursuance of rule 92 of the Aircraft Rules, 1937, and in supersession of the Airports Authority of India (General Management, Entry for Ground Handling Services) Regulations, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following regulations for ground handling at Indian airports, namely:–

1. Short title, commencement and applications. – (1) These regulations may be called the Ministry of Civil Aviation (Ground Handling Services) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all Civil Airports and Civil Enclaves in the country.

2. Definitions. – In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "apron" means a defined area of an airport intended to accommodate aircraft for the purpose of loading or unloading passengers or cargo, refuelling, parking or maintenance;

(b) "civil enclave" means the area, if any, allotted at an airport belonging to any armed forces of the Union of India, for use by persons availing of any air transport services from such airport or for the handling of baggage or cargo by such service, and includes land comprising of any building and structure on such area;

(c) "ground handling" means services necessary for an aircraft's arrival at, and departure from, an airport other than air traffic control and it includes–

(i). ramp handling including activities as specified in Schedule-I;

(ii). traffic handling including activities as specified in Schedule-II; and

(iii). any other activity specified by the Central Government from time to time;

(d) "Ground Handling Agency" means an entity established for the purpose of providing Ground Handling Service at airport, duly certified by Bureau of Civil Aviation Security;

(e) "maneuvering area" means the part of an airport or an aerodrome or civil enclave to be used for take-off, landing and taxing of aircraft but does not include apron;

(f) "movement area" means part of an airport or an aerodrome or civil enclave intended for surface movement of aircraft including the maneuvering area and apron;

(g) "regular employee" means a person employed and paid for a regular work directly by the employer without the intervention of a contractor; and does not include contract labourers as defined in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);

(h) "royalty" means compensation, consideration or fee paid for providing ground handling services at an airport payable to the airport operator in addition to applicable land or space rentals;

(i) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;

(j) "self-handling" means the ground handling services relating to its own aircraft or helicopter by an airline or helicopter operator or its 100% owned subsidiary through its own regular employees, using equipment owned or taken on lease;

(k) "Terminal Building" means the building or area of the Airport or Civil Enclave which is used for embarkation or disembarkation or processing of passengers;

3. Ground handling services at airports.–

(a) All domestic scheduled airline operators and scheduled helicopter operators will be free to carry out self-handling at all airports including Civil Enclaves.

(b) A foreign airline may undertake self-handling in respect of passenger and baggage handling activities excluding security functions listed out in para 1 of AVSEC Order 03/2009 [enclosed as Annexure-I] at the airport terminals restricted to the passenger check-in at pre security hold area, at all the airports except Civil Enclaves or Joint User Defence Airfields.

(c) At the cargo terminals except Civil Enclaves or Joint User Defence Airfields, all cargo aircraft may undertake self handling excluding security functions listed out in para 1 of AVSEC Order 03/2009 [Annexure-I].

(d) At all airports having annual passenger throughput of 10 million passengers per annum or above, the airport operator shall ensure that there will be three ground handling agencies including that of the Airport Operator or its Joint Venture or its 100% owned subsidiary, a Joint Venture or a subsidiary of Air India and any other ground handling agencies appointed by the airport operator through a transparent bidding process.

(e) At all airports having annual passenger throughput of less than 10 million passengers per annum, based on the traffic output and airside and terminal building capacity, the airport operator may decide on the number of ground handling agencies, not exceeding three, including that of–

(i) the airport operator or its Joint Venture or its 100% owned subsidiary;

(ii) a Joint Venture or a subsidiary of Air India;

(iii) any other ground handling agency appointed by the airport operator through a transparent bidding process.

(f) A ground handling agency, with foreign ownership of 50% or more of its paid-up capital shall not be allowed to undertake ground handling activities at Civil Enclaves or Joint User Defence Airfields.

(g) At all airports, the Joint Venture or the subsidiary of Air India shall match the lowest royalty paid by the other ground handling agencies.

(h) The provisions of clauses (d), (e) and (g) of this regulation relating to Air India will be in force so long the Air India remains a Public Sector Undertaking and in case of its disinvestment, the above said clauses will continue with respect to Air India at all such airports where it functions as a ground handling agency, till such time the next bid takes place for that airport.

(i) No royalty is payable in case of self-handling.

(j) All airlines, Joint Ventures, subsidiaries, ground handling agencies shall enter into an agreement with the airport operator for the satisfactory observance of performance standards as may be mutually acceptable.

4. Entry into Terminal Building, Movement Area.–

Except as provided in rule 90 of the Aircraft Rules, 1937, the entities permitted to undertake ground handling services at airports shall also be allowed to enter and remain in the terminal building or movement area.

5. Security Protocol.–

(1) (a) All ground handling services shall be provided only through the regular employees of the entities in accordance with regulation 3.

(b) Hiring of employees through handling contractor or manpower supplier shall not be permitted.

(2) Airlines and agencies allowed to carry out ground-handling services at airports shall ensure compliance to security provisions as required under the law.

(3) The ground handling agencies, unless they acquire the status of regulated agent or otherwise duly authorised to do so by the Bureau of Civil Aviation Security, shall not undertake the security functions listed out in para 1 of AVSEC Order 03/2009 [Annexure-I], as modified from time to time.

6. Equipment.–

(a) At all airports, in order to overcome space and time constraints, the airport operator shall provide adequate number of Common User Terminal Equipment and Common User Self Service.

(b) At all airports having annual passenger throughput of 1.5 million passengers per annum or above, the airport operator shall provide adequate number of Baggage Reconciliation System:

Provided that where the annual passenger throughput is less than 1.5 million passengers per annum, the airport operator may decide the provisions relating to Baggage Reconciliation System.

(c) All agencies concerned shall ensure the use of state-of-art equipment and best practices in line with the International Air Transport Association Airport Handling Manual.

(d) As far as feasible, the airport operator shall provide adequate parking space for the equipment required for ground handling purpose, within the airport premises on mutually agreed terms and conditions.

7. (a) The entities which are not permitted in these regulations and are currently carrying out the ground handling activities at any airport or Civil Enclave shall be allowed exit time of 240 days from the date of publication of these regulations.

(b) The Airport Entry Permits in respect of the above entities referred to in clause (a) shall continue to be issued till 240 days from the date of publication of these regulations.

(c) All airport operators shall appoint the requisite number of ground handling agencies within a period of 120 days from the date of publication of these regulations.

Schedule - I

[See Regulation 2(c)(i)]

Ramp Handling

1. Aircraft handling:

1.1 Attendance
1.2 Marshalling
1.3 Parking
1.4 Starting
1.5 Safety measures
1.6 Mooring of Aircraft
1.7 Ramp to flight deck communication

2. Aircraft servicing:

2.1 Liaison for fuelling and defueling
2.2 Liaison with suppliers for replenishing of oil and other fluids
2.3 Cabin Equipment
2.4 Routine & Non-Routing services
2.5 Cooling & Heating
2.6 Storage of cabin material

3. Aircraft Cleaning:

3.1 Exterior cleaning
3.2 Interior cleaning
3.3 Toilet service

3.4 Water service

4. Loading or Unloading:

4.1 Loading and unloading of passenger baggage
4.2 Transhipment of passenger baggage
4.3 Operation of Loading/Unloading equipment
4.4 Position and removing of passenger stairs/bridges
4.5 Emplane/Deplane passengers
4.6 Break/Make-up of baggages
4.7 Bussing of passengers/crew
4.8 Bulk loading/unloading of baggage
4.9 Catering ramp handling
4.10 Load control
4.11 Communication
4.12 Flight operations
4.13 Crew administration

5. Cargo handling services:

5.1 Loading, off-loading, export, import and transhipment cargo on/from the aircraft.
5.2 Mail handling services
5.3 Operate/provide/arrange essential equipments for handling of cargo
5.4 Transhipment of cargo
5.5 Palletisation/containerization of cargo
5.6 Break-up/Make-up of cargo container/unit load device
5.7 Bulk loading or unloading
5.8 Cargo and mail handling
5.9 Customs control
5.10 Documentation handling
5.11 Physical handling outbound/inbound
5.12 Transfer/ transit cargo
5.13 Post office mail

6. Support Services:

6.1 Accommodation
6.2 Automation / Computer systems
6.3 Unit load device (ULD) control
6.4 Fuel farm (Depot)
6.5 Ramp fuelling / defueling operations
6.6 Surface transport
6.7 Catering services – liaison and administration

7. Aircraft Maintenance:

7.1 Routine services
7.2 Replenishing of oils and fuels
7.3 Non- routine services
7.4 Material handling
7.5 Parking and hanger space

Schedule - II

[See regulations 2(c)(ii)]

Traffic Handling

1. Terminal Services:

1.1 Handling documents and load control

1.2 Passenger and baggage handling at the airport terminals

1.3 Cargo handling services at the airport terminals

1.4 Mail handling services at the airport terminal

1.5 Traffic services at the airport terminals including passenger check-in

2. Flight Operations:

2.1 Inform the carrier of any known project affecting the operational services and facilities made available to its aircraft in the areas of responsibility

2.2 Flight preparation at the airport of departure

2.3 Flight preparation at a point different form the airport of departure

2.4 In-flight assistance

2.5 Post flight activities

2.6 In-flight re-dispatch

2.7 Communication system associated with Ground Handling

2.8 Material handling

3. Surface Transport:

3.1 Arrangement for the transportation of passengers/baggages and cargo between separate terminals at the same airport.

3.2 Arrangements for passengers or crew transport together with their baggage between airport and city or other agreed points

4. Representational Services:

4.1 Liaison with local authorities

4.2 Information to interested parties, movement of carrier aircraft

4.3 Disbursement of payment on behalf of the carriers at all airports

4.4 Supervision and administration services

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./350/17]

Annexure-1

RESTRICTED

NO.CAS-6(1)/2008/Div.I (Sec.functions)

BUREAU OF CIVIL AVIATION SECURITY

(MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

GOVERNMENT OF INDIA

A' WING (I-Ill Floor), JANPATH BHAVAN

JANPATH, NEW DELHI

Dated: 21 /08/2009

AVSEC Order No. 03/2009

Sub: Security Functions to be carried out by aircraft operators.

In exercise of powers conferred by Section 5A of Aircraft Act 1934 delegated to him vide Government of India, Ministry of Civil Aviation Notification No. 1797 dated July 3, 1997, read with para-4 of DGCA Circular No. 9/1/2002-IR dated 28/9/07; and Regulations 6 and 7 of the Airports Authority of India (General Management, Entry for Ground Handling Services) Regulations, 2007 issued vide Gazette of India (Extraordinary) Notification NO.AAI/LEGAL/GHREG/2007 dated 18.10.2007, the Commissioner of Security (Civil Aviation), Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), for the purpose of securing the safety of aircraft operations, directs that the following activities **pertaining to aircraft operations** shall be treated as Aircraft Operators' Aviation Security Functions:

i) Access control to the aircraft;

ii) Aircraft security search/Security check during normal as well as bomb threat situation;

iii) Screening of registered /unaccompanied baggage, cargo, mail and company stores etc. ;

iv) Surveillance of screened baggage till acceptance at check-in counters;

v) Security control of the checked baggage from the point it is taken into the charge of aircraft operator till loading into aircraft;

vi) Passengers baggage reconciliation/identification

vii) Security of baggage tag, boarding cards and flight documents;

viii) Security of mishandled/unaccompanied/transit /transfer baggage;

ix) Secondary checks at ladder point of aircraft;

x) Security of catering items from pre-setting stage till loading into aircraft;

xi) Security control of express cargo, courier bags, cargo, company stores, parcels, mail bags and escorting from city side up to aircraft;

xii) Receiving, carriage and retrieval of security removed articles;

xiii) Any other security functions notified by the Commissioner from time to time.

2. Despite the fact that the above activities are carried out on ground at the airports, keeping in view the AVSEC requirements under the current surcharged security scenario, these AVSEC functions cannot be mixed-up with other ground handling activities, and these AVSEC functions shall not be allowed by an aircraft operator/ airport operator to be undertaken by a Ground Handling Agency.

3. The above mentioned security functions shall be carried out by the concerned airlines' security personnel who possess all competencies required to perform their duties and are appropriately trained and certified according to the requirements of the approved Security Programme of respective Aircraft Operator and the National Civil Aviation Security Programme of India.

4. Foreign airlines may enter into agreement with Indian Air carriers having international operation from that airport only after specific approval from the BCAS in each case.

5. As approved by Ministry of Civil Aviation (GoI) vide letter no. AV-24013/004/2007-AAI dated 20th March 2008, the In-line screening of hold baggage to be transported by an aircraft operator from the airports in India, shall be carried out by trained and BCAS certified screeners of respective airport operator or NACIL or their JV at airports having In-line baggage Inspection System.

6. Screening and security control of Cargo consignments may also be undertaken by trained and BCAS certified screeners of Regulated Agents approved by the BCAS in accordance with the instructions issued by the BCAS from time to time.

7. The responsibility for all security related functions shall be with the airlines concerned. For this purpose, a security coordinator shall be designated by the respective airlines at each airport from where they shall have operations.

8. This order supersedes all instructions (except BCAS Cir. No. 4/2007*)* on the subject and shall come into force with immediate effect. Violation of this order will attract legal action under section 11A of Aircraft Act, 1934.

This issues with the approval of Commissioner of Security (CA)

Sd/-

(M. Malaviya)

I.P.S

Addl. Commissioner of Security (CA)

Distribution: As per list attached.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.20 17:59:09 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.